

मोबाइल में ए0पी0के0 फाइल डाउनलोड कराकर साइबर ठगी करने वाले गैंग का सरगना गिरफ्तार—

कार्यवाही—

साइबर थाना, जनपद गोण्डा द्वारा मोबाइल फोन में ए0पी0के0 फाइल डाउनलोड कराकर साइबर ठगी करने वाले गैंग के सरगना दीपक सिंह तंवर को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

वादी राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, निवासी मकान संख्या—2060, आवास विकास कॉलोनी, गोण्डा के मोबाइल फोन में ए0पी0के0 फाइल डाउनलोड कराकर उनके खाते से '₹5,23,000/— की साइबर ठगी की गई थी। ठगी की धनराशि से मेक माई ट्रिप के माध्यम से विभिन्न 5—स्टार होटलों की बुकिंग की गई तथा कुछ धनराशि आई0डी0एफ0सी0 बैंक द्वारा डिजिटल रूप से प्रदान किए गए क्रेडिट कार्ड में सेटल की गई थी। उक्त प्रकरण के संबंध में वादी द्वारा पुलिस अधीक्षक गोण्डा को प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके आधार पर साइबर थाना गोण्डा पर मु0अ0सं0—006/2026, धारा 319(2), 318(4) बीएनएस एवं धारा 66(डी) आई0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। साइबर थाना गोण्डा की पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित गैंग के सरगना दीपक सिंह तंवर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध साइबर थाना की पुलिस टीम द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अपराध करने का तरीका/पूछताछ का विवरण—

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा लोगों के मोबाइल फोन में ए0पी0के0 मालवेयर डाउनलोड कराकर मोबाइल का एक्सेस प्राप्त किया जाता है। इसके बाद गिरोह के सदस्यों द्वारा विभिन्न सिम के माध्यम से डिजिटल बैंक खाते खुलवाकर उनमें साइबर ठगी की धनराशि डलवाई जाती है। इसके बाद उक्त धनराशि को एफ0डी0 में परिवर्तित कराकर उसके आधार पर बैंक से लगभग उतनी ही धनराशि का डिजिटल क्रेडिट कार्ड प्राप्त किया जाता है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से तनिष्क के आभूषण, फ्लाइट टिकट एवं अन्य ऐशो—आराम की वस्तुओं की खरीदारी की जाती है तथा इसके बाद क्रेडिट कार्ड की क्लोजर रिक्वेस्ट डाल दी जाती है। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि वह अपने नाम से कोई सिम कार्ड अथवा बैंक खाता संचालित नहीं करता है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त—

01. दीपक सिंह तंवर पुत्र नेपाल सिंह तंवर निवासी ग्राम टोडा, थाना नीम का थाना (सदर) जनपद सीकर, राजस्थान।

बरामदगी—

1. 01 अदद आईफोन मोबाइल फोन
2. ₹3,170 / – नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश यादव, साइबर अपराध थाना, गोण्डा ।
2. मु0आ0 मोहन यादव, साइबर अपराध थाना, गोण्डा ।
3. आ0 आदित्य कुमार शाह, साइबर अपराध थाना, गोण्डा ।
4. आ0 अंकुर गुप्ता, साइबर अपराध थाना, गोण्डा ।
5. आ0 अजय कुमार यादव, साइबर अपराध थाना, गोण्डा ।
6. म0आ0 शशि पाल, साइबर अपराध थाना, गोण्डा ।
7. म0आ0 अर्चना यादव, साइबर अपराध थाना, गोण्डा ।

मीडिया सेल, गोण्डा ।

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार एवं 02 विधि विरुद्ध किशोर पुलिस अभिरक्षा में, लूटी गई इलेक्ट्रिक स्कूटी, मोबाइल फोन, ₹8,000/- नगद एवं घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल बरामद—

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 29.09.2026 को वादी प्रमोद कुमार यादव पुत्र शिवप्रसाद यादव, निवासी ग्राम ज्ञानपुर मौजा डोमाकल्पी, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर सूचना दी गई कि वह पोर्टरगंज से अपने घर ग्राम ज्ञानपुर जा रहे थे। डेहरास रोड मंडप चौराहा से करीब 500 मीटर आगे बेलवानोहर की तरफ जाते समय पीछे से दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी इलेक्ट्रिक स्कूटी को रोक लिया गया तथा उनके पास मौजूद मोबाइल फोन एवं ₹10,000/- नगद तथा स्कूटी लूटकर चारों व्यक्ति फरार हो गए। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

घटना की सूचना प्राप्त होते ही थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पतारसी—सुरागरसी, सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रयास किए गए। इसी क्रम में दिनांक 30.09.2026 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात मय पुलिस टीम के अभियुक्तों की तलाश में भ्रमणशील थे। इसी दौरान मिश्रौलिया रोडवेज बस स्टेशन, गोण्डा के पास मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि बीती रात्रि लूट की घटना में शामिल तीन व्यक्ति सतईपुरवा के सामने उतरौला रोड की तरफ जाने वाली सड़क पर मोटरसाइकिल एवं स्कूटी के साथ खड़े हैं तथा कहीं जाने की फिराक में हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। मौके पर तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल एवं स्कूटी के साथ दिखाई दिए, पुलिस टीम द्वारा आवश्यक घेराबंदी करते हुए तीनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। जिनमें अभियुक्त राजपाल यादव व 02 विधि विरुद्ध किशोर शामिल हैं। पूछताछ एवं नियमानुसार तलाशी के दौरान उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना, अपाचे मोटरसाइकिल व लूटी गई इलेक्ट्रिक स्कूटी बरामद हुई। पूछताछ के दौरान उक्त व्यक्तियों द्वारा घटना में शामिल एक अन्य व्यक्ति अंश पाण्डेय उर्फ भास्कर के संबंध में जानकारी दी गई। प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल उसके आवास पर पहुंचकर उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि लूट की घटना में उन्हें कुल ₹10,000/- प्राप्त हुए थे, जिसमें से ₹2,000/- खाने-पीने में खर्च हो गए तथा शेष ₹8,000/- आपस में बांट लिए गए थे। अभियुक्तों के बताए अनुसार शेष धनराशि ₹8,000/- बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. राजपाल यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी चाँदपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
2. अंश पाण्डेय उर्फ भास्कर पुत्र अभिषेक पाण्डेय निवासी आवास विकास कॉलोनी, मकान नं0 539, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0 933/2026 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

बरामदगी का विवरण—

01. ₹8,000 /— नगद
02. 01 अदद मोबाइल फोन
03. 01 अदद इलेक्ट्रिक स्कूटी
04. 01 अदद बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल
05. 01 अदद अन्य मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. शमशेर बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली देहात ।
2. उ०नि० शमशेर खां ।
3. का० जागेश्वर गौड़ ।
4. का० दुर्गेश पटेल ।
5. का० राधेश्याम ।

मीडिया सेल, गोण्डा ।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज प्रताड़ना के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई 03 वर्ष व 01 वर्ष का कारावास व रुपये 11,000—11,000 /— के अर्थदण्ड की सजा—

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 19.08.2019 को थाना को0 कर्नलगंज में नामजद 03 आरोपी अभियुक्तों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा 03 आरोपी अभियुक्तों— 01. श्रीराम गोस्वामी, 02. मंशा देवी, 03. रामजग के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय रवाना प्रस्तुत किया गया था।

दोषसिद्धि का विवरण—

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में को0 कर्नलगंज में पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री नित्यानंद यादव, कोर्ट मोहरीर म0का0 दुर्गेश नंदिनी व को0 कर्नलगंज के पैरोकार म0का0 सारिका यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 30.09.2026 को दोषी अभियुक्त श्रीराम गोस्वामी को 03 वर्ष का कारावास व दोषी अभियुक्ता मंशा देवी को 01 वर्ष के कारावास व 11,000—11,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण का विवरण—

01. श्रीराम गोस्वामी पुत्र रामजग नि0 गोसाईपुरवा मउहर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. मंशा देवी पत्नी रामजग नि0 गोसाईपुरवा मउहर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण—

01. मु0अ0सं0—324 / 2019 धारा 498ए, 323 भादवि 3/4 डीपी एक्ट थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित—

गोण्डा। आज दिनांक 30.09.2026 को रिजर्व पुलिस लाइन, गोण्डा स्थित सभागार कक्ष में सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मानित कर उनके द्वारा पुलिस विभाग में दी गई दीर्घकालीन सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा उनके उज्ज्वल, स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह एवं उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया कि पुलिस विभाग में सेवा करना एक महत्वपूर्ण दायित्व है तथा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान विभाग एवं आमजन की सेवा में दिए गए योगदान को सदैव सम्मान के साथ स्मरण किया जाएगा। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति शासकीय सेवा से अवश्य है, लेकिन विभाग एवं समाज के प्रति उनका अनुभव एवं मार्गदर्शन सदैव महत्वपूर्ण रहेगा। उन्होंने सभी के स्वस्थ एवं सुखद पारिवारिक जीवन की कामना की।

समारोह में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री नितेश” सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

इस अवसर पर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण निम्नवत हैं—

1. प्रतिसार निरीक्षक श्री अजय प्रताप सिंह
2. उ०नि० ना०पु० श्री पंकज शुक्ला
3. मुख्य आरक्षी श्री सर्वजीत यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी से नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले जाने व दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 20 वर्ष का कारावास व रुपये 20,000 /— के अर्थदण्ड की सजा—

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 10.05.2022 को थाना तरबगंज में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में नामजद अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना तरबगंज पुलिस द्वारा आरोपी किशोर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया गया था।

दोषसिद्धि का विवरण—

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में थाना तरबगंज में पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह, कोर्ट मोहरीर म0का0 सुमन व थाना तरबगंज के पैरोकार हेड का0 सोनू कुमार कन्नौजिया की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 30.09.2026 को दोषी अभियुक्त सुशील जयसवाल माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 20 कारावास व 20,000 /— रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का विवरण—

01. सुशील जायसवाल पुत्र झुरई जयसवाल नि0 बैरिहा बरईनपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण—

01. मु0अ0सं0—158 / 2022 धारा 363,376(3) भादवि व 5 / 6 पाक्सो एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।